झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2006

विषय सूची ।

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) जो इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जायगा, की धारा-3 की उपधारा-1 (एल) के पश्चात् उपधारा-1 (एम) का अंत:स्थापन ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2006

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) के संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में झारखण्ड विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ --

(1) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

(2) यह ऐसी तिथि से प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र से अधिसूचना द्वारा नियत करेगी ।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) जो इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा, की धारा-3 की उपधारा-1 (एल) के पश्चात् उपधारा-1 (एम) का अंत:स्थापन :-

उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-1 (एल) के पश्चात् उपधारा-1 (एम) के रूप में निम्न उपधारा अंत:स्थापित की जायेगी ।

"3 (1)(एम), नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय का मुख्यालय मेदिनीनगर होगा तथा इसकी अधिकारिता पूरे पलामू प्रमण्डल में होगी ।"

वित्तीय संलेख

झारखण्ड सरकार ने नीलम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय के नाम से एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर होगा तथा इसकी अधिकारिता पूरा पलामू प्रमंडल में होगी । झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 3 में इसके लिए संशोधन हेतु झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-06 के प्रस्ताव पर झारखण्ड मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

विश्वविद्यालय को चलाने हेतु पदाधिकारियों, प्राध्यापकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा । इस विश्वविद्यालय के कर्मियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्त्तें उसी प्रकार होगी, जैसा कि राज्य के अन्य तीन विश्वविद्यालयों यथा राँची, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग एवं सिद्धों कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कर्मियों की है ।

विश्वविद्यालय के गठन हेतु झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विघेयक-2006 के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

(प्रदीप यादव)
भारसाधक सदस्य

उद्देश्य और हेतु

पलामू राज्य का एक पुराना प्रमंडल है । इसके अन्तर्गत आने वाले जिले शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं । इस प्रमंडल के शैक्षिक विकास हेतु एक विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता है, ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु राँची या दूर-दराज के अन्य शहरों में न जाना पड़े । इस विश्वविद्यालय की स्थापना से जिले के संर्वागीण विकास हेतु भी मदद मिलेगी ।

इन उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु झारखण्ड सरकार ने नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय के नाम से एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर होगा तथा इसकी अधिकारिता पूरा पलामू प्रमंडल होगी । इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-3 में संशोधन हेतु झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संधोधन) विधेयक-06 के प्रस्ताव एवं प्रारूप झारखण्ड राज्य मंपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

(प्रदीप यादव)
भारसाधक सदस्य

झा०रा०मु० राँची (विधि) 12 (A)--170--22-8-2006--शनि मुण्डा ।